15/2/15

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक द्वारा समर्पित राजस्व कागजातों का मूल कागजात के साथ उपस्थित है। मूल कागजातों को देखा एवं वापस किया। मूल कागजातों की छायाप्रति पूर्व में आवेदक द्वारा जमा किया गया। अभिलेख आदेशार्थ हेतु उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
टाटी भारिया।

पुनश्च:- अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक मौजा भराजो के खाता नं० 11 प्लॉट नं० 46 11 रकबा 0.86 डी जमीन के वाला संख्या 541 दि 17/01/77 द्वारा खरीद की है जिसका रसीद वर्ष 83-84 तक कटा हुआ है परन्तु पंजी II में जमाबन्दी नहीं होने के कारण अद्यतन रसीद नहीं कटा है। अद्यतन रसीद निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया है।

आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में हल्का कर्म का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक ग्राम भराजो थाना 130 के अन्तर्गत के वाला संख्या 541 दिनांक 17/01/77 विक्रेता दयारथलाल पिता अमृतलाल से खाता नं० 11 प्लॉट नं० 46 11 रकबा 0.86 डी० जमीन खरीद किया एवं वर्ष 83-84 तक रसीद निर्गत है। जमीन पर आवेदक का दखल कब्जा है। पंजी II में जमाबन्दी दर्ज नहीं होने के कारण अद्यतन रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। पंजी II में जमाबन्दी कायम कर अद्यतन रसीद निर्गत करने की अनुशंसा रा० कर्म० द्वारा किया गया है।

अतः रा० कर्म० एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा समर्पित राजस्व कागजातों के अवलोकन एवं दखल-कब्जा के आधार पर प्रश्नगत भूमि का रसीद पंजी II में दर्ज कर अद्यतन रसीद आवेदक के नाम से निर्गत करने हेतु राजस्व कर्मचारी को आदेश दिया जाता है। साथ ही अनुपालन हेतु आदेश की प्रति संबंधित रा० कर्म० को दें। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

15/02/15
अंचल अधिकारी
टाटी भारिया।